न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सुमन देवी (RAS)
मुकदमा नम्बर – 188 / 2024 (नया), 49 / 2012 (पुराना)
GCMS NO. 2024/426

1. रामवती पत्नी देशराज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. सुरेश सिंह पुत्र देशराज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. नरेश सिंह पुत्र देशराज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. मुकेश सिंह पुत्र देशराज सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता रामवती पत्नी देशराज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

..................वादीगण

– ब ना म –

1. सुरजन सिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0) **(फौत)**
   1/1. श्रीमती सुनील देवी पत्नी स्व. सुरजन सिंह
   1/2. मनोज सिंह पुत्र स्व. सुरजन सिंह
   1/3. सोनू पुत्री स्व. सुरजन सिंह
   1/4. राकेश सिंह पुत्र स्व. सुरजन सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती सुनील देवी
   1/5. रेखा पुत्री स्व. सुरजन सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती सुनील देवी
   1/6. प्रियंका पुत्री स्व. सुरजन सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती सुनील देवी
   समस्त जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. लालमण पुत्र श्री श्योनारायण जाति अहीर निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
3. उप पंजीयक बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
4. हैल्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

..................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested

दावा – घोषणात्मक, खाता विभाजन, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनू)

उपस्थित :–

1. श्री राजेश यादव — अभिभाषक — वादीगण
2. श्री प्रदीप कुमार सैन
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव — अभिभाषक — प्रति. सं. 1/1 से 1/6 व 2

–: निर्णय :– दिनांक :– 17.07.2025

1. उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 11.03.2016 को पारित कर तहसीलदार बुहाना को इस आशय की तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम बुहाना स्थित वर्तमान में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 2290/1 रकबा 0.6250 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2290/2 रकबा 0.5625 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 2290/3 रकबा 0.0625 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 हेक्टेयर भूमि में तथाकथित बंटवारा/तहसीलदार बुहाना का खाता विभाजन आदेश दिनांक 03.02.2008 को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करते हुए इससे पूर्व की रिकार्ड की स्थिति के आधार पर वादीगण का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो संबंधी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 08.11.2004 का दृष्टिगत रखते हुये व अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.03.2016 से पूर्व इस न्यायालय को भिजवायें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे।
2. तहसीलदार (भू.अ.) बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू0अ0/2015/50 दिनांक 12.04.2016 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।
3. न्यायालय हाजा द्वारा जारी प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2016 की प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहां अपील संख्या 77/2016 बउनवानी सुरजन सिंह बनाम रामवती आदि संस्थित किये जाने पर मूल पत्रावली माननीय अपीलीय न्यायालय को भिजवाई गई। माननीय अपीलीय न्यायालय ने अपील संख्या 77/2016 का अपने निर्णय दिनांक 13.08.2024 से अपीलान्ट की अपील खारिज करते हुये प्रकरण को सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को भिजवाये जाने पर प्रकरण को पुनः नये नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
4. तहसीलदार (भू0अ0) बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.04.2016 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2016) की आवश्यक[illegible] पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता [illegible] पक्षकारान सुनी गई।
5. अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन [illegible] बुहाना के द्वारा वादीगण के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव सही तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वादीगण का वाद अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

6. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपत्ति बहस में कथन किया कि तहसीलदार बुहाना के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विभाजन प्रस्ताव नहीं तैयार किया गया है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के वाद को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया जावे।

7. पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.04.2016 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2016) का ध्यानपूर्वक अवलोकन अध्ययन किया व प्रस्तुतशुदा दस्तावेजात का आद्योपान्त परीक्षण किया गया तथा अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से पाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव क्षेत्राधिकार के अनुसार राजस्व अधिकारी तहसीलदार बुहाना के द्वारा दिनांक 30.03.2016 को पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं राजस्व सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 08–11–2004 के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप राजस्व अधिकारी तहसीलदार बुहाना द्वारा दिनांक 12.04.2016 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 व 'ब') के अनुसार वाद वादीगण अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

9. अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.04.2016 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2016) (प्रदर्श–'अ–1 व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

10. निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री **(अंतिम)**

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी (RAS)

1. रामवती पत्नी देशराज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. सुरेश सिंह पुत्र देशराज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. नरेश सिंह पुत्र देशराज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. मुकेश सिंह पुत्र देशराज सिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता रामवती पत्नी देशराज सिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

..........................वादीगण

– ब ना म –

1. सुरजन सिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0) **(फौत)**
   1/1. श्रीमती सुनील देवी पत्नी स्व. सुरजन सिंह
   1/2. मनोज सिंह पुत्र स्व. सुरजन सिंह
   1/3. सोनू पुत्री स्व. सुरजन सिंह
   1/4. राकेश सिंह पुत्र स्व. सुरजन सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती सुनील देवी
   1/5. रेखा पुत्री स्व. सुरजन सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती सुनील देवी
   1/6. प्रियंका पुत्री स्व. सुरजन सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती सुनील देवी
   समस्त जाति राजपूत निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
2. लालमण पुत्र श्री श्योनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कलाखरी तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
3. उप पंजीयक बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)
4. हैल्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

....................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

दावा बाबत :- घोषणात्मक, खाता विभाजन, विकाई दुरुस्ती एवं कब्जा दिलाए जाने अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा नम्बर :- 188 / 2024 (नया), 49 / 2012 (पुराना)
GCMS NO. 2024/428
निर्णय दिनांक :- 17.07.2025

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव, श्री प्रदीप कुमार सैन एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 / 1 से 1 / 6 व 2 की ओर से **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **17.07.2025** को **सुमन देवी (RAS) उपखण्ड** अधिकारी, बुहाना के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

" वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.04.2016 (मौका रिपोर्ट दिनांक 30.03.2016) (प्रदर्श-'अ-1 व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श-'अ-1 व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श-'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **17.07.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:35:29 IST
Reason: SelfAttested